


क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वरील वादी उपा. वरील वादी ने उल्टीवादी को सम्मक करे अवसर देने पर भी नहीं म्खारा न ही न्यायालय फीस या डाड मद्दल सम्मक दिया। कता वादी को वाद कलेथ 9 निम्न 2 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद वरील दाखल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, न. मसू (जयपुर) </p>